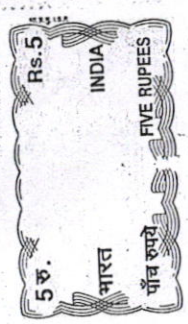

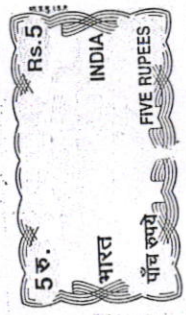

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक   /2018 जिला–शिवपुरी

अपील- 6130/2018/शिवपुरी/भू.रा.

1 मुस0 हलकिया बेवा गजुआ सेहर
2 भागीरथ पुत्र श्री गजुआ सेहर
3 मेवालाल पुत्र श्री गजुआ सेहर
4 खिमिया पुत्री गजुआ सेहर
5 शान्ती पुत्री गजुआ सेहर
6 रति पुत्री गजुआ सेहर
7 रामप्रसाद पुत्र करन्जू सेहर
8 वंशी पुत्र करन्जू सेहर
9 आशा राम पुत्र करन्जू सेहर
10 गंगा राम पुत्र करन्जू सेहर
11 हक्कू पुत्र शंकरा सेहर
12 भगवानदार पुत्र अनंदी सेहर
13 श्रीपद पुत्र अनंदी सेहर
14 पशिया बेवा शंकरा सेहर
15 रामदीन पुत्र शंकरा सेहर
16 कलिया बेवा पन्ना सेहर
17 कल्लू पुत्र रमुवा सेहर
18 कोशिया पुत्री रमुवा सेहर

निवासीगण – जालमपुर तहसील खनियाधाना जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

.........अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – शिवपुरी म.प्र.

...........प्रत्यर्थी

<u>न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।</u>

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1– यहकि, अपीलार्थी मुस0 हलकिया बेवा गजुआ सेहर एंव अन्य द्वारा ग्राम जालमपुर तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 454 रकवा 1.10, 458 रकवा 1.10 है0 कुल किता 2 रकवा 2.20 है0 को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–अपील 6130/2018/शिवपुरी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.10.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा यह कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 59/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 31.7.18 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अनावेदक शासन के अधिवक्ता श्री अज़य चतुर्वेदी द्वारा आपत्ति करते हुये कहा कि प्रथम अपील आयुक्त के न्यायालय में होगी। 2–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस कर दी जावे। आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने के आदेश दिये जाते है। सदस्य	